

विभाग 2112
आम सवे / Circular
file में लेव
13/12/01

1218
13-12-01

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग
क्रमांक: क्र. 2118/13124

जयपुर, दिनांक -
5 DEC 2001

जिला कलेक्टर (समस्त)

सचिव,
नगर विकास न्यास, (समस्त)

विषय:- भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों के बारे में।

प्राप्त यह देखा गया है कि न्यासों/ नगर पालिकाओं द्वारा राजस्थान नगर पालिका (भू-उपयोग परिवर्तन) नियम 2000 में निर्धारित प्रक्रिया को अपनाने वगैर प्रकरणों को सम्बन्धित समिति की बैठक में प्रस्तुत कर दिया जाता है। यथा उक्त नियमों के विन्दु सं. 4 पर भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आपत्तियों आमंत्रित करने का प्रावधान है परन्तु कुछ स्थानीय निकायों द्वारा एक नोटिस जारी कर उसी मौके पर व नोटिस बोर्ड पर चर्चा कर पूर्ति कर ली जाती है जबकि ये आपत्तियों दो दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापित देकर आमंत्रित की जाती है।

उक्त नियमों में प्रपत्र व की पूर्ति कर स्थानीय निकाय को उनकी विशिष्ट अनुशंसाओं के साथ नगर नियोजन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय को भिजवाने का प्रावधान है। परन्तु ऐसा न कर या तो समस्त प्रकरणों को एक पत्र द्वारा नगर नियोजन विभाग को भिजवा दिया जाता है या सीधे ही जिला स्तरीय समिति में रख दिया जाता है जो निर्धारित प्रक्रिया अनुसार नहीं है। उक्त प्रपत्र व भरकर नगर नियोजन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय को भिजवाना अनिवार्य करें।

इसी प्रकार 500 वर्गगज से अधिक के प्रकरणों को राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति में रखा जाना होता है उन्हें जिला स्तरीय समिति में नहीं रखकर सीधे ही सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति (मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर) को भिजवाया जावे।

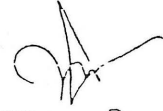
सांविधिक उद्देश्यों के भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों में मॉडल मानक निनिगम 2000 के प्रावधान अनुसार साइड की चौड़ाई 40 मीटर रखा जाना व भूमि

(27)

(202)

उपयोग परिवर्तन शोध प्रयोगों में पार्किंग सुविधा छुड़वाया जाना आवश्यक है।

स्थानीय निकायों द्वारा भविष्य में राजस्थान नगर पालिका (गू-उपयोग परिवर्तन) नियम 2000 में निर्धारित सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुए प्रकरणों को समितियों के समक्ष प्रस्तुत करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा गौडल भवन विनियम 2000 में दिये प्रावधानानुसार पार्किंग, सड़क की चौड़ाई तथा विट्रिफ़ेड पैरामीटर्स का पूरा ध्यान रखा जावे।



शासन सचिव

प्रतिलिपि: निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि समस्त नगर परिषदों/पालिकाओं को आप अपने स्तर पर भिजवाकर उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।



शासन सचिव